GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2013/TG-I/20/P/VAT New Delhi, dated 27 .09.2019

The General Manager (Admin), Konkan Railway Corporation Limited, Belapur Bhavan, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbi-400614.	The General Managers (Comml.) All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 45 of 2019)

Sub: Policy on earmarking of berths on demand from KRCL for Value Added Tour (VAT) packages.

Ref: (i) This office letter of even no. dt. 05.02.2018 (CC no. 09 of 2018)
(ii) This office letter of even no. dt. 27.04.2018

Based on KRCL's request, the issue regarding earmarking of berths for VAT packages has been examined in Board's office.

2. After careful consideration, Competent Authority have decided to allow VAT packages for KRCL on the following terms and conditions:-

(i) Booking

a. Number of berths/seats to be earmarked in the Passenger Reservation System for the value added tour packages of KRCL would be finalized by KRCL in consultation with the CCM/PMs of the concerned Zonal Railways at least ARP + 10 days in advance of the scheduled commencement of the first trip.
b. The number of berths/seats earmarked for this purpose shall not exceed 10% of total berths/seats in Sleeper class and 15% of total berths in AC Class in that train.
c. Initially the extent of accommodation to be earmarked should be 5% of the total berths/seats in case of sleeper class and 10% of total berths in AC classes.
d. Based on the utilization, the same can be increased up to 10 percent and 15 percent respectively with the approval of CCM/PM concerned.
e. The berths decided to be earmarked shall be incorporated in the train profile.
f. The Value Added Tour packages shall cover both peak and non-peak periods.
g. The periodicity and the number of berths/seats should be uniform through the currency of the tour so as to reduce the requirement of maintenance of varying Database in the PRS. Any relaxation in this regard should be decided in consultation with CCM/PM.
h. KRCL shall develop Value Added Tour packages based on these earmarked berths/seats by including sightseeing, stay, etc. and will market these tourism products.

-2/-

The accommodation earmarked for VAT packages may be reviewed periodically by the concerned CCM/PM and wherever it is found that these packages are being poorly patronized, the accommodation so earmarked may be reduced or withdrawn.

(ii) Payment

a. For each berth/seat utilized by KRCL, KRCL shall pay the full fare plus 15% service charge. No concession whatsoever shall be admissible on such tour package ticket. Ticket for child, senior citizens, etc. shall also be issued on full fare. The method of arriving at the fare including the service charge and deposit is illustrated in the annexure.
b. A lump sum amount equivalent to the passenger fare including the above mentioned service charge as applicable for the total berths/seats earmarked plus a deposit of 25% thereon for the first trip for each circuit shall be taken at the time of earmarking the accommodation. This deposit will be refunded on completion of the currency of the particular value added tour package.
c. The list of names of the tourists booked along with the other relevant details such as gender, age, etc. shall be given by KRCL 48 hours before the scheduled departure of the train to the CCM/PM as well as to the CRS/Charting at the train originating station. These details shall be incorporated in the PRS database and also in the chart.
d. KRCL in consultation with CRIS and CCM/PM would evolve a procedure for e-booking of the earmarked berths by KRCL. If booking is done through e-ticketing, suitable procedure will be evolved by KRCL for adjustment of fare as applicable plus 15% service charge for the berths booked by KRCL for value added tour package against the existing rolling lump sum deposit that KRCL shall maintain with Central Railway.

(iii) Cancellation of Tickets, Refunds & Other Safeguards

a. No cancellation shall be permitted within 48 hours of the scheduled departure of the train.
b. The unutilized berths/seats released by KRCL to Railways 48 hours before scheduled departure of the trains shall be used to update Tatkal waiting list followed by general waiting list of that train.
c. In case of cancellation of the train/non attachment of coach in which accommodation has been earmarked for VAT packages, refund due to KRCL as per provisions of refund rules shall be admissible.
d. The officers from KRCL shall personally verify the additional features of VAT and also develop a mechanism about the response of the customers for the total package and its long term life cycle value of the customer.
e. These should be branded tour packages of KRCL.
f. KRCL should also be asked to undertake an aggressive campaign during lean period when most of the trains are vacant.
g. Indian Railways shall not be liable for any consequential damages arising out of any agreement/provision between the passenger and KRCL. Indian Railways shall also not be responsible for any damages if the package/scheme is terminated at short notice.

-3/-

h. KRCL shall be solely responsible for ensuring compliance of all conditions as laid down by Indian Railways.

i. If there is no post of CCM/PM on some zonal railway, the powers shall be exercised by CCM/PS or any other office authorised by CCM.

3. As regards earmarking of berths in cases where both KRCL and IRCTC request VAT package in the same train, the same may be decided on "first come first served" basis.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of this Ministry.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2013/TG-I/20/P/VAT

New Delhi, dated 27.09.2019

Copy forwarded to:

1. ADAI(Railways), New Delhi with 36 spares.
2. FA&CAOs, All Zonal Railways.

27.9.19
for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Annexure

Illustration of fare and service charge to be paid by KRCL and the lump sum deposit to be deposited by them.

Eg. Sector: Kozhikkode–Trivandrum

Train no.: 12432

Class: 3AC

Full fare for each berth: Rs. 1095/-

Service charge = Rs. 164 (15% of the fare)

Total fare for each berth = Rs. 1259

Total amount to be paid by KRCL for say, 10 berths = 1259x10 = Rs. 12590

The above said amount will be paid by KRCL for each trip.

In addition, a lump sum deposit of Rs. 12590 (value of one single trip) will be deposited by KRCL before the first trip of that package which shall be refunded on completion of the currency of the particular value added tour package.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

*****

सं.2013/टीजी-I/20/पी/वीएटी **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

महाप्रबंधक (प्रशासन),
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड,
बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुम्बई- 400614.

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 45)

विषय: मूल्य संवर्द्धित दौरा (वीएटी) पैकेज के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड से मांग पर बर्थें निर्धारित करने संबंधी नीति।

संदर्भ: (i) इस कार्यालय का दि.05.02.18 का समसंख्यक पत्र (2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.09)
(ii) इस कार्यालय का दिनांक 27.04.2018 का समसंख्यक पत्र।

कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर बोर्ड कार्यालय में वैट पैकेज के लिए बर्थों के निर्धारण से संबंधित मामले की जांच की गई है।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए वैट पैकेजों को निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है:-

(i) बुकिंग

क. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के मूल्य संवर्द्धित दौरा पैकेज के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली में निर्धारित की जाने वाली बर्थों/सीटों की संख्या को अग्रिम आरक्षण अवधि + प्रथम ट्रिप के नियत समय से शुरू होने के कम-से-कम 10 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय रेल के सीसीएम/पीएम के परामर्श से कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

ख. इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बर्थों/सीटों की संख्या उस गाड़ी में शयनयान श्रेणी में कुल बर्थों/सीटों के 10% और वातानुकूलित श्रेणी में कुल बर्थों के 15% से अधिक नहीं होगी।

TG I Foreign Tourist Satvin

ग. आरंभ में निर्धारित किए जाने वाले स्थान की सीमा शयनयान श्रेणी के मामले में कुल बर्थों/सीटों का 5% और वातानुकूलित श्रेणियों में कुल बर्थों का 10% होनी चाहिए।

घ. उपयोगिता के आधार पर इसे संबंधित सीसीएम/पीएम के अनुमोदन से क्रमश: 10% और 15% तक बढ़ाया जा सकता है।

ङ. निर्धारित किए जाने के लिए विनिश्चित बर्थों की संख्या को गाड़ी के प्रोफाइल में शामिल किया जाएगा।

च. मूल्य संवर्द्धित दौरा पैकेज में व्यस्त अवधि और कम व्यस्त अवधि दोनों शामिल की जाएंगी।

छ. दौरे की अवधि के दौरान आवधिकता और बर्थों/सीटों की संख्या में एकसमानता होनी चाहिए ताकि यात्री आरक्षण प्रणाली में घटते-बढते डाटाबेस की व्यवस्था संबंधी आवश्यकता को कम किया जा सके। इससे संबंधित किसी भी रियायत का विनिश्चय सीसीएम/पीएम के परामर्श से किया जाना चाहिए।

ज. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इन निर्धारित बर्थों/सीटों के आधार पर दर्शनीय स्थान देखने, ठहरने आदि को शामिल करके मूल्य संवर्द्धित दौरा पैकेज तैयार करेगा और इन पर्यटन उत्पादों का विपणन करेगा।

संबंधित सीसीएम/पीएम द्वारा वैट पैकेजों के लिए निर्धारित अकोमोडेशन की आवधिक अंतराल पर समीक्षा की जाए और जहां-कहीं यह पाया जाए कि ये पैकेज अधिक लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार निर्धारित किए गए अकोमोडेशन को कम किया जाए अथवा हटा दिया जाए।

(ii) भुगतान

क. केआरसीएल द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक बर्थ/सीट के लिए केआरसीएल पूरा किराया प्लस 15% सेवा प्रभार का भुगतान करेगा। इन दौरा पैकेज टिकटों पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए भी पूरे किराए पर टिकट जारी की जाएगी। सेवा प्रभार सहित किराए और जमा राशि तय करने की पद्धति की व्याख्या अनुबंध में दी गई है।

ख. अकोमोडेशन निर्धारित करते समय प्रत्येक सर्किट की पहली यात्रा के लिए निर्धारित कुल बर्थ/सीट के लिए यथा लागू उक्त उल्लिखित सेवा प्रभार सहित यात्री प्रभार प्लस उस पर 25% जमा राशि के समतुल्य एकमुश्त राशि वसूल की जाएगी। यह जमा राशि विशेष मूल्य संवर्द्धित दौरा पैकेज की अवधि समाप्त होने पर रिफ़ंड की जाएगी।

ग. गाड़ी के नियत प्रस्थान से 48 घंटे पहले केआरसीएल द्वारा बुक किए गए पर्यटकों के नाम की सूची, जिसमें लिंग, आयु आदि सहित अन्य संगत विवरण होंगे, सीसीएम/पीएम और गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन के सीआरएस/चार्टिंग को दी जाएगी। इस विवरण को पीआरएस डेटाबेस और साथ ही चार्ट में समाविष्ट किया जाएगा।

घ. केआरसीएल, क्रिस और सीसीएम/पीएम के परामर्श से केआरसीएल द्वारा निर्धारित बर्थों की ई-बुकिंग की प्रक्रिया तैयार करेगा। यदि बुकिंग ई-टिकटिंग के जरिए की जाती है, तो रोलिंग एकमुश्त जमाराशि, जिसे केआरसीएल, मध्य रेलवे के पास रखेगा, के तहत मूल्य संवर्द्धित दौरा पैकेज के लिए केआरसीएल द्वारा बुक की गई बर्थों के लिए यथा लागू किराए प्लस 15% सेवा प्रभार के समायोजन के लिए केआरसीएल द्वारा समुचित प्रक्रिया तैयार की जाएगी।

(iii) टिकट रद्दकरण, रिफ़ंड एवं अन्य जमानत

क. गाड़ी के नियत प्रस्थान के 48 घंटे के भीतर रद्दकरण की अनुमति नहीं होगी।

ख. गाड़ियों के नियत प्रस्थान के 48 घंटे पहले केआरसीएल द्वारा रेलों को रिलीज़ की गई अप्रयुक्त बर्थों/सीटों को उस गाड़ी की तत्काल प्रतीक्षा सूची और उसके बाद सामान्य प्रतीक्षा सूची को अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

ग. जिस गाड़ी/कोच में वैट पैकेजों के लिए अकोमोडेशन निर्धारित की गई है, उस गाड़ी के रद्द होने/कोच न लगने के मामले में, रिफ़ंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार केआरसीएल को देय रिफंड स्वीकार्य होगा।

घ. केआरसीएल के अधिकारी वैट की अतिरिक्त विशेषताओं का वैयक्तिक रूप से सत्यापन करेंगे और पूरे पैकेज तथा ग्राहक के लिए इसकी दीर्घकालिक महत्ता के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे।

ङ. ये केआरसीएल के ब्रांडेड टूर पैकेज होने चाहिए।

च. कम व्यस्त अवधि के दौरान, जब अधिकांश गाड़ियां खाली चल रही होती हैं, केआरसीएल को भी व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा जाना चाहिए।

छ. यात्री और केआरसीएल के बीच किसी करार/प्रावधान के कारण होने वाले परिणामी नुकसान के लिए भारतीय रेल उत्तरदायी नहीं होगी। यदि पैकेज/स्कीम को अल्प सूचना पर रद्द कर दिया जाता है तब भी भारतीय रेल किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

ज. केआरसीएल, भारतीय रेल द्वारा यथा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

झ. यदि किसी क्षेत्रीय रेलवे में सीसीएम/पीएम का पद नहीं है, तो सीसीएम/पीएस या सीसीएम द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

3. जहां तक एक ही गाड़ी में केआरसीएल और आईआरसीटीसी द्वारा वैट पैकेज की बर्थ निर्धारित करने के अनुरोध का संबंध है, इसे 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

TG I Foreign Tourist Satvin

सं.2013/टीजी-I/20/पी/वीएटी | नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1) एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली 36 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2) एफए एंड सीएओ, सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी (पीआर), ईडीवी (टी), ईडीएफ (सी), डीएफ (सी), ओएसडी/टी.सी., एफ (सी) एवं सतर्कता (एस.एस.) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) प्रबंध निदेशक/आई.आर.सी.टी.सी., 11वां तल, स्टेटसमैन हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

अनुबंध

केआरसीएल द्वारा भुगतान किए जाने वाले किराए और सेवा प्रभार तथा उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली एकमुश्त राशि का उदाहरण।

उदाहरणार्थ: सेक्टर: कोझीकोड-तिरुवनंतपुरम

गाड़ी सं.12432

श्रेणी: 3 एसी

प्रत्येक बर्थ का पूरा किराया: 1095/- रु.

सेवा प्रभार : 164 रु. (किराए का 15%)

प्रत्येक बर्थ का कुल किराया: 1259/- रु.

उदाहरणार्थ दस बर्थों के लिए केआरसीएल द्वारा दी जाने वाली कुल राशि:
1259x10 = 12590/- रु.

प्रत्येक ट्रिप के लिए केआरसीएल द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, उस पैकेज के प्रथम ट्रिप से पहले केआरसीएल द्वारा 12590/- रु. (एक एकल ट्रिप का मूल्य) की एकमुश्त राशि जमा कराई जाएगी, जिसे मूल्य संवर्द्धित टूअर पैकेज के समाप्त होने पर रिफंड किया जाएगा।